राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

कमांक : एफ 7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2021–22/6720-6859 दिनांक : 12/07/2021

परिपत्र

विषयः– भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2018–19 में की गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2018–19 में की गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. योजना प्रभारियों द्वारा योजना के कियान्वयन, वेतन एवं भत्तों का बजट अनुमान तैयार करते समय बजट मैन्युअल की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी जिसके अनुसार बजट अनुमान तैयार करते समय वास्तविक आवश्यकता अनुसार बजट अनुमान तैयार किये जाने चाहिये।
2. योजना प्रभारी अनुदान के व्यय की अनुमान का बजट तैयार करते समय व्यय के अनुमान से संबंधित राजस्थान बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित किया जावे।
3. भविष्य में बजट के अनुमान तैयार करते समय वित्तीय वर्ष में होने वाले चुनाव की आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये बजट प्रावधान तैयार किये जावें।
4. योजना प्रभारी यह ध्यान रखें कि तैयार किये गये प्रावधान/अनुमानों में कोई बचत न रहे। इस हेतु राजस्थान बजट नियमावली के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।
5. प्रायः यह देखा गया है कि स्वीकृत बजट के अधिकांश भाग को वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में उपयोग में लिया जाता है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय आदि द्वारा इसे आक्षेपित किया जाता है। भविष्य में स्वीकृत बजट का प्रतिमाह आनुपातिक उपयोग सुनिश्चित किया जावे। कम से कम सितम्बर माह तक स्वीकृत बजट का 35 प्रतिशत एवं दिसम्बर माह तक स्वीकृत बजट का 60 प्रतिशत से कम व्यय होने की दशा में इसकी स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी की संयुक्त जवाबदेही होगी।

अतः उपर्युक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त, कृषि

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
टेलीफोन नम्बरः– 0141–5102577, ईमेलः–jdagrplan@gmail.com
विभागीय वेबसाईटः http://www.agriculture.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2021–22/ 6720 – 6859 दिनांक : 12/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, समेती, आत्मा, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान) मुख्यालय
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर
4. समस्त स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि विज्ञ/वनस्पति), दुर्गापुरा, जयपुर
6. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
7. परियोजना निदेशक (विस्तार) सीएडी, कोटा
8. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....
9. उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर
10. उप निदेशक कृषि (बीज/विस्तार/सूचना/अभियांत्रिकी), मुख्यालय
11. एसीपी, मुख्यालय, जयपुर को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कलस्टर ....

(के0बी0 शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (योजना)

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
टेलीफोन नम्बरः– 0141–5102577, ईमेलः–jdagrplan@gmail.com
विभागीय वेबसाईट: http://www.agriculture.rajasthan.gov.in